

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

विषय-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति (Vigilance and Monitoring Committee) का पुनर्गठन।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-16 के अधीन राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति (Vigilance and Monitoring Committee) का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने का निर्णय लिया है। इस समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से समिति के पुनर्गठन तक के लिये प्रभावी होगा:-

1	माननीय मुख्यमंत्री, बिहार	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री, गृह विभाग, बिहार	सदस्य
3	माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
4	माननीय मंत्री, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार	सदस्य
5	श्री जीतन राम मांझी, माननीय सांसद, गया-सह-माननीय मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6	श्री चिराग पासवान, माननीय सांसद, हाजीपुर-सह-माननीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7	डॉ० आलोक कुमार सुमन, माननीय सांसद, गोपालगंज	सदस्य
8	श्री अरुण भारती, माननीय सांसद, जमुई	सदस्य
9	श्रीमति शाम्भवी, माननीय सांसद, समस्तीपुर	सदस्य
10	श्री मनोज कुमार, माननीय सांसद, सासाराम	सदस्य
11	श्री संतोष कुमार सुमन, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद-सह-माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य
12	श्री नन्द किशोर राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, रामनगर-सह-माननीय मंत्री, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य
13	श्री सुनील कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, भोरे-सह-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार	सदस्य
14	श्री संजय कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बखरी-सह-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार	सदस्य
15	श्री रत्नेश सदा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सोनवर्षा-सह-माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	सदस्य
16	श्रीमती मुन्नी देवी, माननीया सदस्य, बिहार विधान परिषद	सदस्य
17	श्री कृष्णानंदन पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, हरसिद्धि	सदस्य



18	श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बथनाहा	सदस्य
19	श्री सुजीत कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, राजनगर	सदस्य
20	श्रीमती सोनम रानी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, त्रिवेणीगंज	सदस्य
21	श्री अविनाश मंगलम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, रानीगंज	सदस्य
22	श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बनमनखी	सदस्य
23	श्री मनोहर सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, मनिहारी	सदस्य
24	श्रीमती कविता देवी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कोढ़ा	सदस्य
25	श्री रमेश ऋषि, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सिंहेश्वर	सदस्य
26	श्री अतिरेक कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कुशीश्वरस्थान	सदस्य
27	श्रीमती बेबी कुमारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बोचहॉ	सदस्य
28	श्री आदित्य कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सकरा	सदस्य
29	श्री विष्णु देव पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, दरौली	सदस्य
30	श्री सुरेन्द्र राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, गरखा	सदस्य
31	श्री महेन्द्र राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, राजापाकर	सदस्य
32	श्री महेश्वर हजारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कल्याणपुर	सदस्य
33	श्री बीरेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, रोसड़ा	सदस्य
34	श्री राम चन्द्र सदा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, अलौली	सदस्य
35	श्री मुरारी पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, पीरपैती	सदस्य
36	श्री मनीष कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, धोरैया	सदस्य
37	श्री पुरन लाल टुडू, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कटोरिया	सदस्य
38	श्री कौशल किशोर, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, राजगीर	सदस्य
39	श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, फुलवारी	सदस्य
40	श्री अरुण मांझी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, मसौड़ी	सदस्य
41	श्री महेश पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, अगिआँव	सदस्य
42	श्री संतोष कुमार निराला, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, राजपुर	सदस्य
43	श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, मोहनिया	सदस्य
44	श्री मुरारी प्रसाद गौतम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, चेनारी	सदस्य
45	श्री सुबेदार दास, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, मखदुमपुर	सदस्य
46	श्री ललन राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कुटुम्बा	सदस्य
47	श्रीमती दीपा कुमारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, इमामगंज	सदस्य
48	श्रीमती ज्योति देवी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बाराचट्टी	सदस्य
49	श्री कुमार सर्वजीत, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बोधगया	सदस्य
50	श्री विमल राजवंशी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, रजौली	सदस्य
51	श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सिकन्दरा	सदस्य
52	मुख्य सचिव, बिहार	सदस्य
53	सचिव, गृह विभाग, बिहार	सदस्य
54	पुलिस महानिदेशक, बिहार	सदस्य
55	निदेशक/ उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,	सदस्य
56	सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार	सचिव-सह -संयोजक

६✓

2-इस समिति का मुख्यालय पटना होगा। उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति (Vigilance and Monitoring Committee) की बैठक अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा-15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अन्तर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए होगी।

3-इस संबंध में पूर्व में समिति पुनर्गठन संबंधी पूर्व में निर्गत पत्र अवक्रमित समझे जायेंगे।

4-समिति के विधान मंडल के सदस्य को यात्रा भत्ता उसी समय देय होगा, जब विधान सभा/विधान परिषद का सत्र चालू नहीं हो। इसके अन्तर्गत यात्रा भत्ता का व्यय भार सरकार द्वारा निर्धारित यथोचित शीर्ष से विकलनीय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति समिति के सभी सदस्यों, महालेखाकार एवं विभाग को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संदीप कुमार, आर० पुडकलकड़ी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/ पी०सी०आर०(विविध)-09-32/2010 4697

पटना, दिनांक-13/08/2026

प्रतिलिपि-हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राज्य के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर इस विभाग को भेजी जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/ पी०सी०आर०(विविध)-09-32/2010 4697

पटना, दिनांक-13/08/2026

प्रतिलिपि-हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/ पी०सी०आर०(विविध)-09-32/2010 4697

पटना, दिनांक-13/08/2026

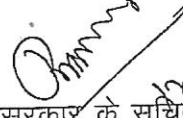
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, लेखा शाखा, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/ पी0सी0आर0(विविध)-09-32/2010 4697 पटना, दिनांक-13/08/2026
प्रतिलिपि-माननीय केन्द्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, खाद्य
प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


13.08.26
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/ पी0सी0आर0(विविध)-09-32/2010 4697 पटना, दिनांक-13/08/2026
प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त
सचिव/माननीय गृह मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री,
लघु जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के
आप्त सचिव/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग
के आप्त सचिव/समिति के सभी माननीय सदस्य/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास
आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, गृह विभाग के आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक
के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आप्त
सचिव/अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार/निदेशक, अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान
सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13.08.26
सरकार के सचिव